HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 258/2026
CNR: RJHC020125942026 | URN: SOSA / 528U / 2026

In

S.B. Criminal Appeal No-3149/2025

Ramkishan Gurjar Son Of Shri Ramlal, Aged About 45 Years, Resident Of Village Champaneri, Police Station Bhinay, District Ajmer (Rajasthan) (At Present In Central Jail Ajmer)

----Petitioner

Versus

N.c.b, Through Special P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री श्याम बिहारी गौतम
For Respondent(s) : श्री तेज प्रकाश शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

19-08-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अजमेर)** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**07/2015 सरकार बनाम रामकिशन गुर्जर** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **18.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **दस वर्ष के कठोर कारावास** से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि लगभग चार वर्ष हो चुकी है। प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । पंचायतनामा प्रदर्श पी–8 के अनुसार बरामदगी होना दर्शित किया गया है परन्तु कितने–कितने ग्राम के सेम्पल लिए गए है, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । उनका यह भी निवेदन है कि प्रदर्श पी–21 धारा 57 एन.डी.पी.एस. की सूचना भेजी गई है जो दिनांक 12.10.2014 को भेजी गई है तथा अधीक्षक महोदय को उक्त सूचना दिनांक 12.10.2014 को ही प्राप्त हो चुकी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रदर्श पी–21 में यह अंकित किया गया है कि सेम्पल मालखाना में जमा करवा दिए गए हैं तथा जांच हेतु दिल्ली भेज दिए गए हैं जबकि मालखाना इन्चार्ज पी.ड. 6 हरीशचन्द का कथन रहा है कि दिनांक 13.10.2014 को विशेष संदेशवाहक रमेशचन्द के मार्फत सेम्पल जांच हेतु दिल्ली भेजे गए है । संदेशवाहक पी.ड–3 रमेश चन्द का कथन रहा है कि दिनांक 13.10.2014 को उसके द्वारा सेम्पल हरीशचन्द से प्राप्त किया गया है। जबकि धारा 57 एन.डी.पी.एस. की सूचना प्रदर्श पी–21 जो कि दिनांक 12.10.2014 की रही है जिसमें अंकित है कि सेम्पल जांच हेतु दिल्ली भेज दिया गया है । इस प्रकार से कथनों में तात्विक विरोधाभास है । कट्टे का वजन अलग से नहीं किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विशेष लोक अभियोजक का निवेदन है कि अभी तक अभियुक्त द्वारा 50 प्रतिशत सजा पूरी नहीं की गई है । विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करते हुए निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया है । उनका यह भी निवेदन है कि प्रक्रियात्मक हुयी कमी के आधार पर अभियुक्त को लाभ नहीं दिया जा सकता । अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया व उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री का अवलोकन किया। पंचायतनामा प्रदर्श पी–8 में

लिए गए सेम्पल की मात्रा को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है । धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी–21 में सेम्पल जांच हेतु दिल्ली भेजे जाने की दिनांक 12.10.2014 अंकित है। जबकि संदेश वाहक पी.ड.3 रमेशचंद व मालखाना इंचार्ज पी.ड. 6 के बयानों में मालखाना दिल्ली भेजे जाने की दिनांक 13.10.2014 रही है । यह भी प्रकट है कि कट्टे का वजन अलग से नहीं किया गया है । इस प्रकार की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायालय धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट की शर्तों से संतुष्ट है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **18.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **रामकिशन गुर्जर पुत्र श्री रामलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/33